भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 821
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशें

821 श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को लौटा दिया है, जिसे कॉलेजियम ने पहले दोहराया था ;
(ख) यदि हां, तो किन नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ऐसी सिफारिशों को दोहराये जाने के बावजूद फिर से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को वापस भेज दिया गया ;
(ग) क्या सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम की लंबित सिफारिशों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया है ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, प्रस्ताव उच्च न्यायालय के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा प्रारंभ किया जाता है । प्रस्तावों पर संवैधानिक प्राधिकारियों के विचार भी प्राप्त किए जाते है । केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री ऐसी अन्य रिपोर्टें जो विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध हो जाए, को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करते है । पूरे विषय को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उनकी सलाह के लिए भेज दिया जाता है । तदनुसार, सरकार सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त सभी प्रस्तावों को भेजती है । सरकार केवल उन व्यक्तियों की नियुक्ति करती है जिनके नामों की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रुप में एससीसी द्वारा सिफारिश की गई है ।

एससीसी द्वारा दोहराए गए 10 प्रस्तावों को हाल ही में एससीसी को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा गया था । इन 10 प्रस्तावों में से एससीसी ने 03 प्रस्तावों के संबंध में नियुक्ति के लिए अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराया है । शेष 07 दोहराए गए प्रस्तावों पर, एससीसी ने उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अतिरिक्त जानकारी मांगी है ।

सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों/जानकारी को देखते हुए, जिस पर सरकार की राय में कॉलेजियम द्वारा और विचार किया जाना चाहिए, सरकार ने ऐसे दोहराए गए मामलों को पुनर्विचार के लिए भेजा है जैसा कि पूर्व में भी किया गया था । पूर्व में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब एससीसी ने सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के लिए सहमति दी थी और अपनी दोहराई गई सिफारिशों को वापस ले लिया था ।
